छापा

### पुलिस ने फर्जी ग्राहक भेजकर मारा छापा, संचालिका, पति और बेटे समेत ग्राहक गिरफ्तार

# हाईप्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

**नवभारत, जबलपुर।** अधारताल थाना अंतर्गत सुहागी पन्नी मोहल्ला स्थित एक रिहायशी मकान में लंबे समय से चल रहे अवैध सेक्स रैकेट का पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से रैकेट की मुख्य संचालिका, उसके पति, बेटे और तीन ग्राहकों को रंगे हाथों पकड़ा है। इसके साथ ही पुलिस ने मकान से एक पीड़ित महिला को भी मुक्त कराया है, जिसे जबरन इस दलदल में परोसा जा रहा था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर देह व्यापार की एफआईआर दर्ज कर ली है।

सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार सुहागी पन्नी मोहल्ला में निमिष विनोदिया का मकान है जहां सालों से अनैतिक और संदिग्ध गतिविधियां चल हो रही थी। जिसको लेकर रहवासी परेशान थे उन्होंने मामले की कई शिकायतें भी की लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। जब इसकी भनक

अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमति अनु बेनिवाल को लगी तो उन्होंने तत्काल एक्शन लिया। रिहायशी इलाका होने के कारण वे बिना पुख्ता सबूत के कार्रवाई नहीं करना चाहती थी। सूचना की तस्दीक और आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उन्होंने एक अचूक रणनीति तैयार की। पुलिस ने छापेमारी करते हुए देह व्यापार संचालित कर रहे पति-पत्नी, बेटे समेत तीन ग्राहकों को दबोचा। एक पीड़िता को भी देह व्यापार के दलदल से मुक्त कराया। जिसके बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आगे की क वैधानिक कार्रवाई और गहन पूछताछ के लिए सभी को महिला थाने ले जाया गया। आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि इस रैकेट के तार शहर के अन्य हिस्सों से भी जुड़े हो सकते हैं, जिसका जल्द ही खुलासा हो सकता है ।

#### अधारताल थाने को नहीं लगी कार्रवाई की भनक

देह व्यापार के अड्डे पर ऐसी छापेमारी की गई कि अधारताल थाना पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। एएसपी अनु बेनिवाल के नेतृत्व में महिला थाने का फोर्स बुलाया गया। जिसके बाद योजना के तहत पुलिस टीम ने सबसे पहले एक पंटर (फर्जी ग्राहक) तैयार किया। इस फर्जी ग्राहक को सौदेबाजी के लिए उस संदिग्ध मकान के भीतर भेजा गया। जैसे ही मकान के अंदर फर्जी ग्राहक और संचालिका के बीच देह व्यापार का सौदा तय हुआ, पंटर ने बाहर मुस्तैद खड़ी पुलिस टीम को इशारा कर दिया। संकेत मिलते ही पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए मकान पर अचानक छापा मार दिया। पुलिस की इस औचक दबिश से पूरे इलाके और मकान के भीतर हड़कंप मच गया।

#### चार साल से चल रहा था देह व्यापार

अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमति अनु बेनिवाल ने बताया कि पन्नी मोहल्ला में बीते करीब चार सालों से देह व्यापार संचालित हो रहा था। जब उन्होंने इसकी सूचना मिली तो तत्काल योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी गई। संचालिका मंजू निखार 41 वर्ष, उसके पति मुकेश निखार 50 वर्ष, पुत्र आरुष निखार 19 वर्ष समेत ग्राहक संजय चौरसिया 41 वर्ष जेईसी कॉलेज के लिए मेस चलाते हैं समेत घमापुर में पान दुकान संचालित करने वाले अभय सिंह 42 वर्ष, ठेकेदार सुदोध कुमार 52 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। मकान मालिक निमिष विनोदिया को भी आरोपी बनाया गया है फिलहाल वे फरार है जिसकी तलाश जारी है।

# अधिवक्ता संघ चुनाव पर हाईकोर्ट की सख्ती

**एमपी स्टेट बार काउंसिल से दो दिन में जवाब तलब**

**जबलपुर।** मप्र उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट व जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर में वरिष्ठ (भारसाधक) समिति नियुक्त कर दोनों बार संघों के एक साथ चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एमपी स्टेट बार काउंसिल को एडवांस नोटिस जारी किया है। प्रशासनिक न्यायमूर्ति आनंद पाठक व न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने स्टेट बार को दो दिन के भीतर निर्देश लेकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है।

कोर्ट के समक्ष मध्य प्रदेश ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ और जिला अधिवक्ता संघ का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। बार एसोसिएशन के उपविधियों के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने के 45 दिन पूर्व वरिष्ठ (भारसाधक) समिति गठित कर निष्पक्ष चुनाव कराना अनिवार्य है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर तथा अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह, अखलेश प्रजापति, परमानंद साहू, शिवांशु कोल ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पहले राज्य बार काउंसिल के प्रभारी अध्यक्ष को अभ्यावेदन दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल से 13 जुलाई तक यह बताने को कहा है कि याचिका में उठाए गए मुद्दों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

#### वकील की गलती की सजा जुर्माना नहीं, संवेदनशीलता

अदालतों में अक्सर अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति या लापरवाही के कारण वर्षों से चल रहे मुकदमे खारिज हो जाते हैं। सबसे अधिक पीड़ा उस पक्षकार को होती है, जिसकी इसमें कोई गलती नहीं होती। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में न्याय को मानवीय संवेदना से जोड़ते हुए अनूठा आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वकील की चूक का दंड गरीब पक्षकार को नहीं भुगतना चाहिए। इसलिए केवल जुर्माना लगाने के बजाय अधिवक्ता को दृष्टिबाधित बच्चों के बीच समय बिताने और अपने अनुभव न्यायालय के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया। प्रशासनिक न्यायमूर्ति आनंद पाठक व न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने याचिका बहाल करने की अनुमति देते हुए कहा कि संबंधित अधिवक्ता 15 दिनों के भीतर जबलपुर स्थित शासकीय दृष्टिबाधित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाएं। वहां लगभग 2500 रुपये मूल्य के खाद्य पदार्थ विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएं और कम से कम एक घंटा उनके साथ बिताएं। न्यायालय ने निर्देशित किया है कि विद्यालय भ्रमण के बाद अधिवक्ता शपथ पत्र सहित विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। इसमें विद्यार्थियों की स्थिति, विद्यालय की व्यवस्था अपनी अनुभूतियां तथा सुधार संबंधी सुझाव शामिल होंगे। इस रिपोर्ट के न्यायालय में प्रस्तुत होने के बाद ही याचिका को पुन: सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि दृष्टिबाधित बच्चों को कभी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वे किसी कमतर ईश्वर की संतान हैं।

# एसबीसी चुनाव : 34,920 मतों की गिनती पूरी

**जबलपुर, नवभारत।** मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद निर्वाचन-2026 के तहत जिला जबलपुर मुख्यालय एवं सभी तहसीलों की मतपेटियों की मतगणना का महत्वपूर्ण चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। मतगणना प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुव्यवस्थित तरीके से संचालित की जा रही है। प्रत्येक राउंड की गिनती सभी प्रत्याशियों और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कराई जा रही है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी हुई है। अब तक हुई मतगणना में राकेश सिंह भदौरिया, आर.के. सिंह सैनी, विवेक सिंह, नरेंद्र कुमार जैन और हितोषी जय हार्डिया बढ़त बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि अधिवक्ता परिषद चुनाव की मतगणना 16 जून से लगातार जारी है। अब तक 34,920 मतों की गिनती पूरी हो चुकी है, जिनमें 33,654 मतपत्र वैध पाए गए हैं, जबकि 1,266 मतपत्र नियमों के विरुद्ध होने के कारण निरस्त किए गए। चुनाव में कुल करीब 62 हजार मत पड़े थे, जिनमें से लगभग 27 हजार मतों की गिनती अभी शेष है। शेष मतों की गणना पूरी होने के बाद अंतिम परिणाम घोषित किए जाएंगे।

#### दर्ज कराई अपनी उपस्थिति

महिला प्रत्याशियों ने भी इस चुनाव में प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। वर्तमान मतगणना चरण में प्रतीका पाठक, प्रतिभा वालिया, अन्नू पटेल, प्रीति राजेंद्र तिवारी और रश्मि ऋतु जैन को बढ़त प्राप्त हुई है। महिला अधिवक्ताओं की सक्रिय भागीदारी को अधिवक्ता समाज में बढ़ते महिला नेतृत्व का सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

## यात्री आय में 8 .22 प्रतिशत की बढ़ोतरी

**जबलपुर।** पश्चिम मध्य रेल ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में यात्री यातायात से शानदार प्रदर्शन करते हुए 685 .83 करोड़ का ऑरिजिनेटिंग राजस्व अर्जित किया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि के 633 .76 करोड़ की तुलना में 8 .22 प्रतिशत अधिक है। इस दौरान आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी सहित कुल 3 करोड़ 6 लाख 67 हजार यात्रियों ने यात्रा की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 .2 प्रतिशत अधिक है। मंडलवार राजस्व में जबलपुर मंडल ने 267 .21 करोड़, भोपाल मंडल ने 267 .77 करोड़ और कोटा मंडल ने 150 .84 करोड़ का योगदान दिया।

# बिना सरकारी रसीद के लगाए मीटर, उपभोक्ताओं से 98 हजार वसूले

**बिजली विभाग के तीन आउटसोर्स कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज**

**नवभारत, जबलपुर।** मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के रांझी जोन में बिजली कनेक्शन के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ। विभाग के ही तीन आउटसोर्स कर्मचारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को अंधेरे में रखकर बिना सरकारी रसीद के अवैध रूप से बिजली मीटर लगा दिए और उपभोक्ताओं से 98 हजार रुपये वसूल लिए। विभागीय शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

कर लिया है।

जानकारी के अनुसार रांझी जोन के प्रभारी सहायक अभियंता सियाराम शरण नायक द्वारा रांझी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि नियमानुसार, किसी भी नए कनेक्शन के लिए उपभोक्ता को निर्धारित प्रक्रिया के तहत कंपनी की वेबसाइट पर आवेदन कर ऑनलाइन शुल्क जमा करना होता है। इसके बाद ही आधिकारिक तौर पर मीटर अलॉट होता है। लेकिन जोन में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में कार्यरत राहुल पटेल, अमर लोधी और दीपक अहिरवार ने आपसी सांठगांठ कर ठेका कंपनी (मोंटे कार्लो) द्वारा उपलब्ध कराए गए सरकारी मीटरों को बिना कोई शुल्क जमा कराए और बिना विभागीय अनुमति के सीधे उपभोक्ताओं के घरों और परिसरों में स्थापित कर दिया। आरोपियों ने न सिर्फ अवैध रूप से मीटर टांगे, बल्कि बिना किसी वैध कागजात के सीधे विद्युत प्रवाह भी चालू कर दिया। जांच में सामने आया है कि कर्मचारियों ने खुद को कंपनी का अधिकृत अधिकारी बताते हुए अलग-अलग उपभोक्ताओं को झांसा दिया और उनसे कुल 98,000 की अवैध नगद राशि वसूल ली। इस तरह आरोपियों ने न केवल भोले-भाले उपभोक्ताओं को ठगा, बल्कि बिजली कंपनी को भी भारी वित्तीय क्षति पहुँचाई। पुलिस ने आरोपी राहुल पटेल, अमर लोधी और दीपक अहिरवार के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है । साथ ही यह पता लगाने में भी पुलिस जुटी है कि इस सिंडिकेट में बिजली कंपनी के कुछ और लोग भी तो शामिल नहीं हैं।

## बच्चा पैदा होने पर पत्नी की देखभाल के लिए मिली अस्थाई जमानत

**जबलपुर।** हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा से दंडित आरोपी ने गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए अस्थाई जमानत के लिए आवेदन किया था। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस ए के सिंह की युगलपीठ को बताया गया कि अपीलकर्ता की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया है। युगलपीठ ने पत्नी व बच्चे की देखभाल के लिए अपीलकर्ता को 12 दिनों की अस्थाई जमानत प्रदान की है। अपीलकर्ता लाला राम वैश्य सहित चार आरोपियों को सिंगरौली जिला न्यायालय ने हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए जनवरी 2026 को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था। आरोपी ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अपील की सुनवाई के दौरान उसकी तरफ से गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए अस्थाई जमानत प्रदान करने का आवेदन दायर किया गया था। युगलपीठ ने आवेदन की सुनवाई करते हुए अस्थाई जमानत के लिए अपीलकर्ता के द्वारा बताये गये कारणो की पुष्टि के निर्देश दिये थे। याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि अपीलकर्ता की पत्नी ने आज एक बच्चे को जन्म दिया है।

# मॉडीफाइड साइलेंसर पर पुलिस ने रोका तो करने लगा अभद्रता, कटा चालान

**बुलेट चालक को भारी पड़ी हेकड़ी**

**नवभारत, जबलपुर ।** शहर में मॉडीफाइड साइलेंसर और यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चल रहे पुलिस अभियान के बीच बीती रात हंगामा खड़ा हो गया। बल्देवबाग चौराहे पर चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित साइलेंसर वाली बुलेट को रोकना एक युवक को इतना नागवार गुजरा कि उसने ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मियों से ही बदतमीजी शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने युवक की हेकड़ी निकालते हुए उसे हिरासत में ले लिया और उसकी बुलेट को

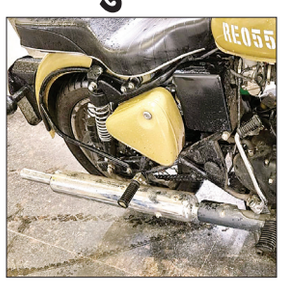


भी जब्त कर थाने पहुंचा दिया। इसके बाद चालानी कार्रवाई हुई बल्कि प्रतिबंधित साइलेंसर को निकाला गया । इस हाई-वोल्टेज ड्रामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बीती रात करीब 8 बजे पुलिस टीम बलदेवबाग चौराहे पर नियमित वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दूर से ही कानफोड़ू आवाज करती हुई एक बुलेट मोटरसाइकिल वहां पहुंची। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बुलेट में तेज आवाज करने वाला अवैध मॉडीफाइड साइलेंसर लगा हुआ था। आवाज सुनते ही पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर बुलेट को रोक लिया। जब पुलिस टीम ने युवक को रोककर प्रतिबंधित साइलेंसर के संबंध में पूछताछ शुरू की, तो उसने सहयोग करने के बजाय आक्रामक रुख अपना लिया। युवक बीच चौराहे पर ही पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से अनावश्यक बहस करने लगा।

मौके पर मौजूद अधिकारियों ने उसे शांत कराने और कानूनी कार्रवाई का हवाला देकर समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक लगातार विवाद करता रहा। बुलेट चालक भावेश रजक पिता राजकुमार रजक निवासी कोतवाली उखरी चौकी, संगम कॉलोनी के खिलाफ वैधानिक कानूनी कार्रवाई की गई । पुलिस उसे और बुलट को थाने ले गई जहां साइलेंसर निकलवाया गया बल्कि उसका चालान भी काटा गया ।

# बदमाश ने घर में फेंका बम

**नवभारत, जबलपुर ।** बेलबाग थाना अंतर्गत प्रेमसागर में शुक्रवार दोपहर हलवाई ने एक बदमाश को घर के सामने फालतू खड़े रहने से मना किया तो वे भड़क गया और जेब से बम निकालकर घर में फेंक दिया। धमाके के साथ बम फूट गया और चारों तरफ धुंआ फैल गया इसके बाद बदमाश धमकाते हुए फरार हो गया। अचानक बमबाजी से क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सुनील कुमार गुप्ता 51 वर्ष निवासी प्रेमसागर हलवाई का काम करता है शुक्रवार दोपहर लगभग 12-15 बजे उसके घर के सामने समीर वंशकार खड़ा था जिससे उसने कहा कि घर के सामने फालतू क्यों खड़े हो एवं समीर को जाने के लिये कहा इसी बात पर समीर वंशकार भड़क गया और आक्रोशित हो गया। सुनील के साथ विवाद करने लगा इस दौरान उसने अचानक जेब में रखे सुअर मार बम निकालकर उसके घर के दरवाजे एवं दीवाल पर फेंका जो तेज आवाज में बम फट गये, पूरे मं धुंआ-धुंआ हो गया और समीर वंशकार उसे जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अपराध दर्ज कर लिया है।

# 100 पाव अवैध देशी शराब के साथ युवक गिरफ्तार

**जबलपुर, नवभारत।** रेलवे स्टेशन एवं ट्रेनों में अपराधों और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जीआरपी जबलपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को 100 पाव अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 18 लीटर मध्यप्रदेश उत्पाद की देशी मसाला मदिरा जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 10,700 बताई गई है। यह कार्रवाई को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक-1 के इटारसी छोर पर स्टेशन एवं आउटर चेकिंग के दौरान की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक युवक को हरे रंग का भारी कैनवास बैग लेकर रेलवे पटरी पार करते हुए ट्रॉली शेड की ओर जाते देखा। रोकने का प्रयास करने पर युवक तेजी से आगे बढ़ने लगा, जिस पर पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।

#### दर्ज किया गया मामला

पूछताछ में उसने अपना नाम आयुष उर्फ अंशुल चौटेल 24 वर्ष निवासी चौधरी मोहल्ला, भानतलैया, थाना बेलबाग की तलाशी लेने पर उसके बैग से 100 पाव देशी मसाला शराब बरामद हुई। आरोपी शराब रखने का कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका तथा शराब को अवैध रूप से बिक्री के लिए रखना स्वीकार किया। जीआरपी ने आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज कर शराब जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी संजीवनी राजपूत के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक सत्येंद्र सिंह, अरुण तिवारी, मनोज मिश्रा तथा आरक्षक परशुराम, रविकांत, गोपाल, ओमप्रकाश और राजकुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है।